

पत्र संख्या : ८८/४७०२ यो०ज०स०-१४/१२ २६४

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

एस० के० शतपथी,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची;
संबंधित अधीक्षण अभियंता / संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी;
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक : २७-२-१३

विषय :— मॉग संख्या—५०—लघु सिंचाई विभाग के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष—४७०२—लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय, लघु शीर्ष—७९६—जन—जातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उप शीर्ष—१९—लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण, विस्तृत शीर्ष—०५—निर्माण, ४५ मुख्य निर्माण कार्य, विपत्र कोड—५०P470200796190545 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष २०१२-१३ में व्यय हेतु निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष २०१२-२०१३ में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष ४७०२—लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय के अंतर्गत परिशिष्ट—१ में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष, के अधीन अंकित कार्यालयों को आवंटन संसूचित किया जाता है :—

क्र०	मॉग संख्या/मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष/विपत्र कोड	आवंटित राशि (लाख रु. में)
१	२	३	४	५
१.	५०—लघु सिंचाई विभाग /४७०२—लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	लघु शीर्ष—७९६—जन—जातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उप शीर्ष—१९—लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण,	०५—निर्माण, ४५ मुख्य निर्माण कार्य/ ५०P470200796190545	१२.००

अतिरिक्त आवंटित राशि – ₹ बारह लाख मात्र।

- आवंटित राशि वर्ष २०१२-२०१३ के संशोधित बजट उपबंध रु. ३३०.०० लाख (तीन करोड़ तीस लाख) मात्र के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक २५६१ वि. (२) दिनांक १७.०४.९८ एवं १८०० (वि.) दि. १५.०७.२००३ के आलोक में होगा।
- आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति में वर्णित शर्तों का अक्षरशः पालन करते हुए तकनीकी स्वीकृति के अंतर्गत एवं परिशिष्ट—१ में वर्णित कार्यों के अनुरूप किया जायेगा।
- संबंधित मुख्य अभियंता एवं संबंधित अधीक्षण अभियंता योजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
- सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन अधिनियम १९८० आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।

(ओंकार नाथ)
सहायक अभियंता

(जययप्रकाश भट्टाचार्य)
उप सचिव (अभि.)

(सुबोध कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि.)

(बी. सी. निगम)
विशेष सचिव

8. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।
9. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
10. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
11. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग—1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
12. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
13. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 30 मार्च 2013 तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनु. :- यथोक्त


(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :-

रॉची, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड पो. - हिनू रॉची/कोषागार पदाधिकारी, रॉची/डोरण्डा/खूंटी सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त


(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :-

26/4

रॉची, दिनांक :- 27.2.13

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/योजना एवं विकास विभाग/आंतरिक वित्तीय सलाहकार जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख –I एवं II जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो०) रॉची/विशेष सचिव, जल संसाधन विभाग/संयुक्त सचिव (अभि०)/उप सचिव (अभि०) जल संसाधन विभाग को पैंच प्रति/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/ प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त




(ओंकार नाथ)
सहायक अभियंता



(जयप्रकाश भट्टाचार्या)
उप सचिव (अभि०)



(सुबोध कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि०)



(बी. सी. निगम)
विशेष सचिव



(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव

पत्रांक -

/ रॉची, दिनांक -

२७.३.१३

परिषिक्षा - १

१/१

माँग संख्या-50-लघु सिंचाई विभाग,
मुख्य शीर्ष-4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय,
लघु शीर्ष-796-जन जातीय सोनीय उपयोजना,
उपशीर्ष-19-लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण
विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण 45 मुख्य निर्माण कार्य,
विपत्र कोड-50P470200796190545

संशोधित बजट उपबंध (वर्ष 2012-13) रु. 330.00 लाख

राशि (लाख रु में)

क्र.	लघु सिंचाई प्रमाण्डल	जिला	प्रखण्ड	योजना का नाम		प्रशासनिक स्वीकृति का प्रसंग	मार्च 2012	वित्तीय वर्ष 2012-13 में आवंटन			अस्थिरित
				राशि	प्रसंग			तक का	पूर्व का	अतिरिक्त	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
उद्वह सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन।											
1	लघु सिंचाई प्रमाण्डल, रौची	रौची	काँके	जुमार नदी पर सुकरहट्ट ग्राम में उ०सिं०यो० का निर्माण	48.840	28 / 30.11.12	0.000	25.000	10.000	35.000	विद्युतीकरण हेतु।
							योग	25.000	10.000	35.000	
श्रुखलाबद्ध चेकडैम योजना का निर्माण											
1	लघु सिंचाई प्रमाण्डल, खुंटी	खुंटी	सोनाहाटु	अनरिया नाला पर श्रुखलाबद्ध चेकडैम निर्माण	627.000	14/26.07.2012	0.000	0.000	2.000	2.000	
							योग	0.000	2.000	2.000	
							कुल योग	25.000	12.000	37.000	
अतिरिक्त आवंटित राशि - ₹ बारह लाख मात्र।											

(ओंकार नाथ)
सहायक अभियंता

(जयप्रकाश भट्टाचार्य)
उप सचिव (अभिः)

(सुबोध कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभिः)

(वी. सी. नियम)
विशेष सचिव

(एस० के० ईर्टपथी)
प्रधान सचिव